न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 104/2010
वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

अनवान

1. श्रीमती जानी बेवा उदयराम माली निवासी पोटलां त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. लेहरू पिता उदयराम माली निवासी पोटलां त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. बंशी पिता उदयराम माली निवासी पोटलां त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. मदन पिता उदयराम माली निवासी पोटलां त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. लादू पिता उदयराम माली निवासी पोटलां त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. श्रीमती चन्द्री पुत्री उदयराम माली निवासी पोटलां त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1. चमना पिता एकलिंग माली निवासी पोटलां त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. सोहन पिता भगवान माली निवासी पोटलां त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. माधु पिता भगवान माली निवासी पोटलां त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. कालु पिता भगवान माली निवासी पोटलां त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. जगदीश पिता भगवान माली निवासी पोटलां त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. श्रीमती लाली पुत्री डालू माली माली निवासी पोटलां त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88.89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीगणः– श्री मुकेश चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादीगणः– श्री तख्तसिंह राणावत

दिनांक 7/2/20

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पोटालं तहसील सहाड़ा के बेरून हल्के आबादी में साबिक आराजी नं0 669/1 रकबा 2 बिस्वा एवं 670/1 रकबा 10 बीघा कुल किता 2 कल रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा हम वादीगण के पूर्वज उदयराम पिता एकलिंग माली के नाम जमाबंदी संवत् 2037 से 2040 में दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी पेश है।

यह कि ग्राम पोटलां का सेटलमेन्ट हुआ , उस सेटलमेन्ट के दौरान भूप्रबंध अधिकारियों ने साबिक आराजी चरण एक में वर्णित के नवीन नम्बर 2533 रकबा 0.50 हे0, 2534 रकबा 0.14 हे0, 2535 रकबा 0.18 हे0, 2536 रकबा 0.01 हे0, 2537 रकबा 0.33 हे0 2538 रकबा 0.16 हे0, 2539 रकबा 0.36 हे0, 2540 रकाब 0.32 हे0 एवं 2541 रकबा 0.18 हे0 कायम कर नवीन खाता पृथक् – पृथक् बनाकर हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम बाला– बाला बिना किसी अधिकार एवं न्यायालय के प्रभावी आदेश के खातेदारी हक से दर्ज कर दी गई। उक्त वर्णित आराजियात हम वादीगण के पिता उदयराम के बजाय हम वादीगण के नाम राजस्व जमाबंदी में अभिलिखित होना चाहिए। जो पृथक–पृथक खाते खोलकर हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से छः के संयुक्त खातेदारी की अन्य आराजियात ग्राम पोटलां की सीमा में स्थित थी और वक्त सेटलमेन्ट वाद ग्रस्त आराजियात के अलावा अन्य आराजियात हम पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण ने प्रार्थना की है कि ग्राम पोटलां के बैरून हल्के आबादी में खाता संख्या 1412, 1395 470, 373, 872 में प्रतिवादीगण का नाम गलत तरीके से दर्ज कर दिया है। प्रतिवादी क्रम एक लगायत छः के नाम इन खातो से हटाकर तन्हा वादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज कराया जावें तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। इस की घोषणात्मक डिक्री वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी फरमायी जावे।

यह कि वाद पत्र के चरण संख्या 2 मे वर्णित आराजियात जो वाद पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित साबिक आराजियात के ही नवीन नम्बर कायम किये गये है परन्तु खाता संख्या 1412 , 1395, 470, 373 एवं 872 में पृथक–पृथ्क आराजियात गलत तरीके से प्रतिवादी क्रम एक लगायत छः के नाम अलग–अलग खातों मे अलग–अलग आराजी दर्ज कर दी इसी आधार पर गलत अंकन के आधार पर प्रतिवादीगण हमारे जायज हक की भूमियों को विक्रय करने पर आमादा है, ऐसे गैर कृत्य को रोके जाने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री जारी फारमाई जावें।

वाद पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.08.2010 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। वाद पत्र का पेरोकार सरकार द्वारा औपचारिक पक्षकार होने से जवाब प्रस्तुत नहीं किया अतः जवाब देही बंद की जाती है। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 3 व 6 के अधिवक्ता उपस्थित बार–बार वादपत्र का जवाब हेतु अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया अतः जवाबदेही बंद की जाती है।

वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य हेतु बार – बार कई अवसर दिये गये परन्तु साक्ष्य वादी पेश नहीं की अतः साक्ष्यवादी बंद की जाती है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण अधिवक्ता को भी प्रतिवादी साक्ष्य पेश करने हेतु कई अवसर न्यायहित में दिये गये परन्तु साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है।

वादी अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वाद पत्र में चीाह गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादी के पक्ष में स्वीकार किया जावें। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस सी0पी0सी0 का आदेश –17 नियम – 7 का हवाला देते हुए वादपत्र को सव्यय खारिज करने हेतु निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया।उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 का साक्ष्य के अभाव में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है अतएवं

–: आदेश :–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89–188 आर0टी0ए0 का साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

थी, का आपसी सहमति से विभाजन हुआ , उनके साथ वाद ग्रस्त आराजियात का भी बिना किसी आधार के भूप्रबंध अधिकारियो ने प्रतिवादी क्रम एक से छः के नाम पृथक–पृथक खाते में हम वादीगण के साथ खातेदारी हक से दर्ज कर दी जबकि वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादीगण एक लगायत छः का किसी प्रकार से कोई हक दखल अथवा स्वामित्व न कभी था, न आज है। वाद ग्रस्त आराजियात पहले हम वादीगण के पूर्वज उदयराम के नाम अभिलिखित थी और उनकी मृत्यु के बाद हम वादीगण उनके प्रथम श्रेणी के वारिस होने से हमारे नाम अभिलिखित होना चाहिए।

यह कि आराजी संख्या 2533 के नवीन खाता संख्या 1412 यह आराजी हम वादीगण के साथ प्रतिवादी चमना एवं प्रतिवादीया क्रम छः के पिता डालू के नाम भी खातेदारी हक से दर्ज कर दी जबकि इनका कोई हक दखल नहीं है। इसी प्रकार खाता संख्या 1395 कायम कर इस खाते में आराजी नं0 2534 , 2534/7856, 2535, 2535/7857 , 2541, 2541/7858 यह कि उक्त छः ही आराजियात में हम वादीगण के साथ प्रतिवादी क्रम 1, 2 , 3, 4 के पिता भगवान के नाम भी दर्ज कर दी। इसी प्रकार खाता संख्या 470 में आराजी नं0 2537 प्रतिवादीया छः लाली के पिता डालू के नाम अभिलिखित कर दी तथा इसी प्रकार खाता संख्या 373 में आराजी नं0 2538, 2539 प्रतिवादी क्रम 1 चमना के नाम अभिलिखित कर दी तथा खाता संख्या 872 में आराजी संख्या 2540 प्रतिवादीया क्रम 2, 3, 4, 5 के पिता भगवान के नाम अभिलिखित कर दी। प्रमाण में सभी खातों की जमाबंदियां पेश है। उक्तानुसार गलत तरीके से अंकित कर दी, जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री इस आशय की फरमायी जावें कि नवीन खाता संख्या 1412 में वर्णित आराजी 2533, खाता संख्या 1395 में वर्णित आराजियात 2534, 2534/7858 तथा खाता संख्या 470 में वर्णित आराजी 2537 एवं खाता संख्या 373 में वर्णित आराजी 2538, 2539 तथा खाता संख्या 872 आराजी 2540 यह सभी आराजियात हम वादीगण के पूर्वज उदयराम के नाम वादपत्र के चरण एक में वर्णित की गई है, के ही नवीन नम्बर होकर हम वादीगण के तन्हा स्वामित्व की है, इसलिए इन सभी नवीन खातों से प्रतिवादीगण के नाम हटाए जाकर हम वादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं।

यह कि प्रतिवादी क्रम एक लगायत छः के नाम खाता संख्या 1412 , 1395, 470, 373 एवं 872 में गलत तरीके से अंकित कर देने से हम वादीगण के जायज हक की वाद ग्रस्त भूमियों को जबरन विक्रय कर नाजायज राशि प्राप्त करने पर आमादा है, जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादीगण खाता संख्या 1412, 1395, 470, 373 एवं 872 में उनके नाम दर्ज आराजियात को किसी अन्य के पक्ष में हस्तानान्तरण न करें, राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार की हेरा फेरी न करें न प्रतिवादी क्रम सात प्रतिवादी क्रम एक लगायत छः द्वारा वाद ग्रस्त आराजियात के हस्तानान्तरण प्रलेख पंजीयन हेतु प्रस्तुत करें तो उसे पंजीयन नहीं करें, राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

2.

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2020.02.07 16:04:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: